

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अजीतसिंह राजावत आर ए एस
राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 54 / 2023 / बाड़मेर
अपीलांट

रेस्पोंडेंटगण


<ol style="list-style-type: none">1. खैरा पुत्र अरबाव2. फ़ैजा पुत्र अरबाव3. रजब पुत्र अरबाव4. इसमत पत्नी अरबाव5. जानू पुत्र ईशाक6. मोहम्मद हसन पुत्र इनायत7. हुसैन पुत्र इनायत जातियान मुसलमान निवासी बीजासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर8. शेरखान पुत्र अमरखान9. अलीखान पुत्र अमरखान10. गिरखान पुत्र अमरखान जातियान मुसलमान निवासी मीठे का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर11. भूरा पुत्र रसूल12. वली पुत्र रसूल जातियान मुसलमान निवासी बीजासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	<ol style="list-style-type: none">1. डूंगराराम पुत्र गोरखाराम जाति जाट निवासी बीजासर सेड़वा जिला बाड़मेर2. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे शाखा चौहटन3. तहसीलदार / उपपंजीयक सेड़वा
--	--

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 56 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट

रेस्पोंडेंटगण

<ol style="list-style-type: none">1. खैरा पुत्र अरबाव2. फ़ैजा पुत्र अरबाव3. रजब पुत्र अरबाव4. इसमत पत्नी अरबाव5. जानू पुत्र ईशाक6. मोहम्मद हसन पुत्र इनायत7. हुसैन पुत्र इनायत जातियान मुसलमान निवासी बीजासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर8. शेरखान पुत्र अमरखान9. अलीखान पुत्र अमरखान10. गिरखान पुत्र अमरखान जातियान मुसलमान निवासी मीठे का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर11. भूरा पुत्र रसूल12. वली पुत्र रसूल जातियान मुसलमान निवासी बीजासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	<ol style="list-style-type: none">1. डूंगराराम पुत्र गोरखाराम जाति जाट निवासी बीजासर सेड़वा जिला बाड़मेर2. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे शाखा चौहटन3. तहसीलदार / उपपंजीयक सेड़वा
--	--


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध राहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेइवा द्वारा राजस्व वाद संख्या 57/2020 बअनवान डूंगराराम बनाम खैरा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2022 व दिनांक 20.02.2023 के विरुद्ध उपरोक्त अपीले पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री छैलसिंह राठौड़ अपीलांटस की ओर से।
2. वकील श्री कैलाश एन. सारण रेस्पोंडेंट की ओर से।


निर्णय

दिनांक:—06.09.2024

उपरोक्त दोनों ही अपीलों में एक ही आराजी को लेकर उभयपक्ष के मध्य विवाद होने से दोनों ही अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है तथा निर्णय की प्रति पृथक-पृथक अपीलों पर रखी जा रही है।


अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी की क्रयशुदा एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 10 की पुश्तैनी व प्रतिवादी संख्या 11 व 12 की क्रय शुदा संयुक्त खातेदारी के खेत सरहद मौजा बीजासर पटवार क्षेत्र बीजासर भू अभिलेख बीजासर तहसील सेइवा में खेत खसरा संख्या 366 रकबा 202.02 बीघा का अया हुआ है। जिसमें वादी का 7/64 हिस्सा प्रतिवादीगण 01 से 04 का संयुक्त 1/8, प्रतिवादीगण संख्या 05 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 का संयुक्त 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 08 से 09 का संयुक्त 1/64 हिस्सा व प्रतिवादीगण 11 व 12 की क्रयशुदा भूमि का संयुक्त 1/4 हिस्सा खातेदारी में बनता है इसी अनुसार खातेदारी में इन्द्राज है तथा पक्षकार इसी अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं। वादी की अपने हिस्से की भूमि में रहवासी ढाणीया, चारागाह, पशुबाड़े इत्यादि बने हुए हैं लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा नहीं हुआ है इसलिए इस्तगत वाद पेश किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकतरफा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसके अनुसार अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाइमेर

वकील अपीलांटस ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई थी जो उक्त वाद में तामिल की प्रक्रिया सी पी सी आदेश 5 के अनुसार पूरी किये बिना ही जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मनों को विधिवत रूप से अपीलांटगण से तामिल नहीं करवाया गया है तथा उतरदाता संख्या 01 द्वारा तामिल कुन्निदा से मिलीभगत करते हुए अपीलांटगण के फर्जी तामिल बताकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये तथा प्रतिवादीगण को बिना कोई सूचना दिये आनन-फानन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर अपीलांटगण के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार धनाऊ द्वारा मंगवाया गया जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवारी व आर आई को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने उतरदाता संख्या से मिलीभगत कर गलत रूप से मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।


वकील रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि रेस्पोंडेंटस/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हस्तगत वाद को दिनांक 20.02.2023 को उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात स्वीकार किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त अधीनस्थ न्यायालय संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही को पूर्ण कर उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांटगण द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडुमेर

प्रस्ताव के अनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई वह विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं, तहसीलदार धनाऊ स्वयं ने उभयपक्षकारान को जरिये नोटिस से सूचना देकर मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार राही है। अपीलांटस द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपीले पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि को सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अपीलांटस की मंशा वंटवारा करने नहीं देना तथा अनावश्यक अवरोध पैदा करना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर-बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम-ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपीले खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को रजुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री एकतरफा पारित की गई जिसकी जानकारी पूर्व में अपीलांटगण को नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय की नकले मांगी जिस पर अपीलांटगण को सर्वप्रथम आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से उक्त अपील अन्दर मियाद पेश हुई। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण को तकनीकी बिंदुओं पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।


अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय पारित करने की दिनांक से ही हो गई थी, क्योंकि इस वाद की पूरी प्रक्रिया की जानकारी अपीलांटस को रही है। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना-पत्रों में नहीं किया गया है। अपीलांट की अपीले मियाद बाहर है अपीले पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद


राजस्व अपील प्राधिकारी
बायसेर


कारण नहीं बताया है। अपीलें इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 भियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्रों को खारिज फरमाया जाकर अपीलें इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की धारा 05 के प्रार्थना-पत्रों पर बहस सुनने एवं पत्रावली पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हस्तागत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं पर करने की बजाय गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर गिगार शुमार की जाती है।


पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित की गई। अपीलांटस द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध अपील पेश की गई लेकिन उसमें हिस्सों को लेकर किसी प्रकार का उजर नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर है कि अपीलांट को हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। लिहाजा प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध पेश अपील खारिज करना उचित समझता हूँ। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण द्वारा बार-बार अपील में आपत्ति जताई जबकि विभाजन प्रस्ताव बाकायदा भूमिधारक (तहसीलदार) धनाऊ स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवत्ता, स्थायी अलामात/कब्जे/ को मददेनजर रखते हुए उभयपक्ष की मौजूदगी में बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 20.02.2023 को अंतिम डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांटस येन-केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांट के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांटस की अपीलें सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपीले अपीलांटस की सारहींग होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेइवा द्वारा राजस्व वाद संख्या 57/2020 बअनवान डूंगराराम वनाम खैरा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2022 व दिनांक 20.02.2023 को यथावत रखा जाता है।


(अजीत सिंह रावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
वाडगेर

यह निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राजस्व अपील प्राधिकारी
वाडगेर